

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(भरतपुर)

प्रकरण संख्या 99/2019,(जी.सी.एम.एस.नम्बर: 2019/00086) पीठासीन अधिकारी:-डॉ.रवि कुमार गोयल
(R.A.S)

उनवान

1. अमर सिंह पुत्र श्यामलाल जाति जाट नि०कासौट तहसील डीग जिला डीग(राज०) -मृतक
- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 1/1. भरत सिंह | } पुत्रगण स्व० अमर सिंह | } जातियान जाट नि० कासौट तहसील डीग |
| 1/2. महिपाल सिंह | | |
| 1/3. पंकज सिंह | | |
| 1/4. हम्वीर सिंह | | |
| 1/5. संगीता रावत पुत्री स्व० अमर सिंह | | |
| 1/6. रामवती पत्नी स्व० अमर सिंह | | |

-वादीगण

बनाम

1. अतर सिंह पुत्र श्यामलाल
2. बच्चू सिंह
3. भूपेन्द्र सिंह } पुत्रगण अतर सिंह जातियान जाट नि० कासौट तहसील डीग
4. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कासौट तहसील डीग जरिये प्रधानाचार्य
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188
राज० टि० एक्ट,



निर्णय

दिनांक: 09.07.2024

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 2095/0.37, 2098/0.18, 2118/0.25, 2198/0.40, वाके ग्राम खैरपुर तहसील डीग व आराजी खसरा नम्बरान 2298/0.14, 2304/0.05, 2305/0.06, 2313/0.16, 2345/0.23, 2472/0.09, 2479/0.17, 2482/0.38, 2506/0.07, 2507/0.02, 2508/0.10, 2509/0.10, 2840/0.18, 2841/0.25, 2842/0.50, 2843/0.08, 2844/0.17, 2845/0.13, 2846/0.17, 2847/0.23, वाके ग्राम कासौट प्रथम तहसील डीग तथा आराजी खसरा नम्बरान 3035/0.25, 3023/0.17, 3029/0.34, 3330/0.24, 3331/0.19, 3332/0.15, 3339/0.15, 3340/0.12, 5650/0.17, 5651/0.21, वाके ग्राम कासौट द्वितीय तहसील डीग में स्थित है। विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र वादी एवं प्रति० की मुताविक हिस्सा दर्ज जमाबन्दी कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिसका कोई विधिवत विभाजन वादी एवं प्रति० के मध्य नहीं हुआ है। अब विवादित आराजी के सम्मिलित कब्जे काश्त में

Ran
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

होने से वादीगण व प्रति० के मध्य आपस में बनती नहीं है। चाहे जब झगडा व विवाद उत्पन्न हो जाता है। निवेदन है कि उक्त वर्णित आराजीयात में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजीयात का पृथक से दखल व कब्जा वादी को मौके पर दिलाया जावे। प्रति० को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पावंद फरमाया जावे


दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति० को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 18.12.2019 को उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर प्रकरण/दावे को प्राथमिक डिक्री किया जाकर वर्णित विवादित आराजीयात में पक्षकारान के दर्ज हिस्सानुसार पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाकर तहसीलदार डीग से तलब किये गये। तहसीलदार डीग के पत्रांक:एल.आर. /2023/2541 दिनांक 16.10.2023 से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षों की सहमति के आधार पर हम दावा वादी को डिक्री किया जाना उचित समझते है।

तहसीलदार डीग से प्राप्त कुरा प्रस्ताव निम्नानुसार है:-

कुरा प्रस्ताव संख्या:-1, अमर सिंह पुत्र श्यामलाल जाति जाट सा० खातेदार,

1. कासौट प्रथम:- आराजी खसरा नम्बरान 2506/0.07, 2508/0.10, 2509/0.10, 2345/0.23, 2840/1/0.09, 2841/0.25, 2842/0.05, 2843/0.08, 2844/0.17, 2298/2/0.05
कुल किता-10 कुल रकबा 1.19,
2. खैरपुर:- आराजी खसरा नम्बरान 2118/0.25, 2198/0.40, 2098/0.18, कुल किता-03
कुल रकबा 0.83,
3. कासौट द्वितीय:- आराजी खसरा नम्बरान 3323/0.17, 3331/0.19, 3339/0.15, 3340/0.12, 5651/0.21, कुल किता-05 कुल रकबा 0.84,

कुरा प्रस्ताव संख्या-2, अतर सिंह सिंह पुत्र श्यामलाल हि० 1/3 बच्चू सिंह, भूपेन्द्र सिंह पिस. अतर सिंह हि० 2/3 जाति जाट सा० कासौट खातेदार (अतर सिंह रहिन हि० 1/3 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बच्चू सिंह पुत्र अतर सिंह हि० 1/3 रहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा गुनसारा, भूपेन्द्र हि० 1/3 रहिन पी.एन.बी. शाखा सिनसिनी)



Ban
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.


1. कासौट प्रथम:- आराजी खसरा नम्बरान 2304/0.05, 2305/0.06, 2313/0.16, 2427/0.09, 2479/0.17, 2482/0.38, 2840/2/0.09, 2845/0.13, 2846/0.17, 2847/0.23, 2898/3/0.04, कुल किता-11 कुल रकबा 1.57,
2. खैरपुर:- आराजी खसरा नम्बर 2095/0.37 किता-01 रकबा 0.37,
3. कासौट द्वितीय:- आराजी खसरा नम्बरान 3035/0.25, 5650/0.17, 3029/0.24, 3330/0.24, 3332/0.15, कुल किता-05 कुल रकबा 1.05

कुरा प्रस्ताव संख्या-3, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कासौट:- आराजी खसरा नम्बर 2298/1/0.05,

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व कुरा प्रस्ताव के अवलोकन किये जाने के उपरांत हम दावा वादीगण को कुरा प्रस्ताव के आधार पर स्वीकार किया जाकर काविले डिक्री किये जाने योग्य समझते है।


अतः आदेश है कि :-

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। कुरा प्रस्ताव 01 लगायत 03 में वर्णित आराजी (वाके कासौट प्रथम,द्वितीय,खैरपुर तहसील डीग) खसरा नम्बरान अनुसार वादीगण व प्रति0 को पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वर्णित आराजी में रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।


(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।




(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.